

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 223 / संचा.-वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 17 / 02 / 2026

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,  
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.  
अटल नगर, नवा रायपुर
2. प्रबंध संचालक,  
अपेक्स बैंक,  
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
3. कलेक्टर  
जिला - रायगढ़, छ.ग.

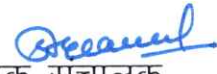
विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1392 तारांकित द्वारा श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—000—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1335 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिफांन्ट फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिफांन्ट फॉन्ट' में) दिनांक 19.02.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

  
सहायक संचालक

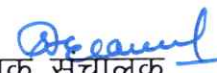
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

नवा रायपुर, दिनांक 17 / 02 / 2026

पृ.क्रमांक 224 / संचा.-वि.स. / 2026

प्रतिलिपि :-

खाद्य अधिकारी, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 27/02/2026

वर्ग : 5      सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2026      विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : जिला रायगढ़ में धान उपार्जन तथा संग्रहण केन्द्रों में धान की क्षति

( तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1392 ) श्रीमतीविद्यावती सिदार

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) जिला रायगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में उपार्जन केन्द्रवार खरीदी की मात्रा तथा संग्रहण केन्द्रवार भंडारण की मात्रा, निराकरण की मात्रा तथा शेष धान की मात्रा बताएं? (ख) यदि उपार्जन केन्द्रों तथा संग्रहण केन्द्रों में धान की कमी हुई हो अथवा खराब हुआ हो तो उसकी मात्रा, क्षति की राशि तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम बताएं? (ग) क्षति की वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है और की जाएगी? (घ) क्या संग्रहण केन्द्रों में होने वाली क्षति की पूर्ति खाद्य विभाग के द्वारा की जाती है?

Sent From : vidhan | Sent Date : 17/02/2026 02:08:50 |

Remark :

25/2/26  
C.C.B.  
M. S. B.